

प्रारूप आदेश
(खण्ड 37 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

राज्य शासन भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (क्र.46 सन् 2023)
के खण्ड 37 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार
आदेश जारी करता है :-

1. प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष को खण्ड 37 के प्रयोजन के लिए भी पुलिस नियंत्रण कक्ष घोषित किया जाता है।
2. पुलिस मुख्यालय भोपाल म.प्र. में स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष को खण्ड 37 के प्रयोजन के लिए भी पुलिस नियंत्रण कक्ष घोषित किया जाता है।
3. पुलिस अधीक्षक प्रत्येक जिले के जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेंगे जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।
4. पुलिस अधीक्षक, खण्ड 37 के प्रयोजन के लिए, अपने क्षेत्राधिकार के प्रत्येक थाने के लिए एक पुलिस अधिकारी पदाभिहित करेंगे जो सहायक पुलिस उप निरीक्षक की पंक्ति से नीचे का नहीं होगा।
5. खण्ड 37 के प्रयोजन के लिए थाने पर पदाभिहित पुलिस अधिकारी गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम, पते एवं जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है, की जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा और थाने पर उक्त जानकारी को प्रदर्शित भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी सम्मिलित है।
6. प्रत्येक थाने का पदाभिहित पुलिस अधिकारी प्रतिदिन गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम, पते एवं जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है, की जानकारी जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेगा।
7. जिला मुख्यालय पर स्थित पुलिस नियंत्रण कक्ष के लिए पदाभिहित पुलिस अधिकारी जिले में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के नाम, पते एवं जिस अपराध में उसे गिरफ्तार किया गया है, की जानकारी रखने के लिए उत्तरदायी होगा और उक्त जानकारी को प्रदर्शित भी किया जाएगा, जिसके अंतर्गत डिजिटल मोड भी सम्मिलित है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य
विभाग, भोपाल

प्रारूप आदेश
(खण्ड 64 (1) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023)

राज्य शासन द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (क्र.46 सन् 2023) के खण्ड 64 (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह निर्धारित करती है कि प्रत्येक पुलिस थाने पर समन किये गये व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर रखा जाएगा, जिसमें निम्न प्रविष्टियाँ की जाएगी :-

1. समन किये गये व्यक्ति का पूर्ण नाम,
2. समन किये गये व्यक्ति के पिता/पति का नाम,
3. समन किये गये व्यक्ति का वर्तमान पता एवं स्थायी पता यदि हो तो,
4. समन किये गये व्यक्ति का मोबाईल नम्बर, वाट्सअप नंबर ,
5. समन किये गये व्यक्ति का ईमेल एड्रेस,
6. जिले का नाम,
7. थाने का नाम,
8. अपराध क्रमांक,
9. धारा,
10. न्यायालय का नाम,
11. न्यायालय का प्रकरण क्रमांक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य
विभाग

प्रारूप आदेश
(खण्ड 265 (3) के द्वितीय परंतुक भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता
2023)

राज्य शासन द्वारा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 (क्र.46 सन् 2023) के खण्ड 265 (3) के द्वितीय परंतुक के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा जिला एवं तहसील स्तर पर श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों से साक्षी की परीक्षा के लिए स्थापित वीडियो कान्फ़ेंसिंग (वीसी) रूम को, साक्षी की परीक्षा के लिए, अभिहित स्थान के रूप में, अधिसूचित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार

सचिव
मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य
विभाग

प्रारूप
मध्यप्रदेश साक्षी संरक्षण स्कीम 2024

राज्य शासन, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(क्रमांक 46 सन 2023) के खंड 398 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये साक्षियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को ध्यान में रखते हुये राज्य के लिये निम्नानुसार साक्षी संरक्षण स्कीम बनाते हैं -

मध्यप्रदेश साक्षी संरक्षण स्कीम 2024

1. संक्षिप्त नाम विस्तार और प्रारंभ
 - (i) स्कीम को मध्यप्रदेश साक्षी संरक्षण स्कीम, 2024 कहा जाएगा।
 - (ii) इस स्कीम का विस्तार संपूर्ण मध्यप्रदेश राज्य में होगा।
 - (iii) यह स्कीम अधिसूचना प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

भाग-I

2. परिभाषाएं;

- (क) “संहिता” से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023(क्रमांक 46 सन् 2023) अभिप्रेत है;
- (ख) “सक्षम प्राधिकारी” से, प्रत्येक जिले में, एक स्थायी समिति, जिसके अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सचिव, पुलिस अधीक्षक/पुलिस आयुक्त, सदस्य अभियोजन उप-निदेशक होंगे, अभिप्रेत है;
- (ग) “साक्षी की पहचान को छिपाया जाना” से अन्वेषण, विचारण के दौरान और विचारण-पश्चात् किसी भी रीति में प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से नाम, पता और अन्य विशिष्टियों के प्रकाशन, जो साक्षी की पहचान दर्शित कर सकते, का प्रतिषेध किया जाना सम्मिलित और अभिप्रेत है;
- (ड) “कुटुम्ब के सदस्य” से साक्षी के पति-पत्नी, माता-पिता, संतान एवं रक्त-संबंधी सम्मिलित है;

(च) "प्रारूप" से इस स्कीम से संलग्न "साक्षी संरक्षण आवेदन प्रारूप" अभिप्रेत है;

(छ) "सरकार" से मध्यप्रदेश सरकार अभिप्रेत है;

(ज) "कैमरा कार्यवाही" से ऐसी कार्यवाहियां अभिप्रेत हैं, जहां सक्षम प्राधिकारी/ न्यायालय केवल उन व्यक्तियों को, जिनका संरक्षण आवेदन की सुनवाई और विनिश्चय के समय या न्यायालय में अभिसाक्ष्य देने के लिए उपस्थित होना आवश्यक हो, को न्यायालय में अनुज्ञात करे;

(झ) "लाइव लिंक" से अभिप्रेत है और इसमें लाइव विडियो लिंक या अन्य ऐसी व्यवस्था सम्मिलित है जिसके माध्यम से साक्षी किसी मामले में साक्ष्य हेतु न्यायालय में अथवा सक्षम प्राधिकारी से अतः किया करने के लिये भौतिक रूप से उपस्थित न होकर लिंक के माध्यम से उपस्थित रहे;

(ञ) "साक्षी संरक्षण उपाय" से स्कीम के खण्ड 7, भाग-III, भाग-IV, भाग-V में वर्णित उपाय अभिप्रेत हैं;

(ट) "अपराध" इस स्कीम के प्रयोजन से अपराध से वे अपराध अभिप्रेत हैं जो मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास या सात वर्ष या अधिक के कारावास से दण्डनीय हो;

(ठ) "राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण" से विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का केन्द्रीय अधिनियम सं.39) की धारा 6 के अधीन गठित प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) "खतरा/धमकी विश्लेषण रिपोर्ट" का अर्थ है साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के प्रति संभावित खतरे की गंभीरता और विश्वसनीयता से संबंधित जाँच करने वाले जिले के सहायक पुलिस आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक द्वारा तैयार और प्रस्तुत एक विस्तृत रिपोर्ट। इसमें साक्षी या उसके कुटुम्ब के जीवन, प्रतिष्ठा या संपत्ति के लिए खतरे की प्रकृति तथा खतरे की तीव्रता के बारे में विशिष्ट विवरण शामिल होंगे, इसके अलावा इसमें धमकी देने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों की मंशा, उद्देश्य और धमकी को पूरा करने संबंधी संसाधनों का विश्लेषण भी शामिल है।

यह इस मामले में किये जाने वाले उपायों के साथ विशिष्ट साक्षी संरक्षण उपायों के बारे में सुझाव देने के अलावा संभावित खतरे की धारणा को भी वर्गीकृत करेगा,

(ढ) “साक्षी” से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो किसी अपराध के बारे में जानकारी या दस्तावेज रखता है;

(ण) “साक्षी संरक्षण आवेदन” से साक्षी संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए विहित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष, इसके सदस्य सचिव के माध्यम से, साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्य, उसके सम्यक् रूप से लगाये गये काउन्सलर या संबंधित अन्वेषण अधिकारी/एसएचओ/एसडीओपी/संबंधित जेल अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत किया गया आवेदन अभिप्रेत है;

(त) “साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ” से अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त/अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में जिला पुलिस का प्रकोष्ठ अभिप्रेत है जिसे साक्षी संरक्षण आदेश लागू स्कीम को क्रियान्वित करने का कर्तव्य समनुद्दिष्ट किया गया हो;

राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ की अध्यक्षता अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (.....) पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा की जायेगी।

(थ) “साक्षी संरक्षण निधि” से इस स्कीम के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान उपगत खर्चों को वहन करने के लिए सृजित निधि अभिप्रेत है,

(द) “साक्षी संरक्षण आदेश” से सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी संरक्षण के संदर्भ में किये जाने वाले उपायों का ब्यौरा देते हुए पारित आदेश अभिप्रेत है।

भाग-II

3. संभावित खतरे के अनुसार साक्षियों की श्रेणियां;

श्रेणी ‘क’; जहां खतरा/धमकी का विस्तार जाँच/अन्वेषण/विचारण के दौरान या उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों के जीवन को हो।

श्रेणी 'ख'; जहां खतरा/धमकी का विस्तार जाँच/अन्वेषण/विचारण के दौरान या उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों की सुरक्षा, ख्याति या संपत्ति को हो।

श्रेणी 'ग'; जहां खतरा/धमकी मामूली हो और जाँच/अन्वेषण/विचारण के दौरान या उसके पश्चात् साक्षी या उसके कुटुम्ब के सदस्यों को डराने-धमकाने, ख्याति या संपत्ति से संबंधित हो।

3. "राज्य साक्षी संरक्षण निधि"

(क) साक्षी संरक्षण निधि के रूप में ज्ञात एक निधि होगी जिसमें से सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश के क्रियान्वयन के दौरान हुये व्यय अथवा तत्संबंधी अन्य व्यय की पूर्ति की जायेगी।

(ख) साक्षी संरक्षण निधि निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात:-

I. राज्य सरकार द्वारा वार्षिक बजट में किया गया बजट संबंधी आवंटन;

II- न्यायालयों/अधिकरणों द्वारा साक्षी संरक्षण निधि में जमा करने के लिए अधिरोपित/आदेशित खर्चों की रकम की प्राप्ति;

III- अन्तरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय/परोपकारी/पूर्त संस्थाओं/संगठनों और सरकार द्वारा अनुज्ञाप्राप्त व्यक्तियों द्वारा सदान/अंशदान;

IV- निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व के अधीन अंशदान की गई निधि।

(ग) उक्त निधि गृह विभाग द्वारा संचालित की जाएगी।

5. सक्षम प्राधिकारी के समक्ष आवेदन का प्रस्तुत किया जाना- इस स्कीम के अधीन संरक्षण आदेश प्राप्त करने के लिए आवेदन संबंधित जिले में जहां अपराध किया गया है, विहित प्रारूप में, समर्थक दस्तावेजों, यदि कोई हो, के साथ इसके सदस्य-सचिव के माध्यम से सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकेगा।

6. आवेदन पर कार्यवाही करने की प्रक्रिया -

(क) जैसे ही विहित प्रारूप में आवेदन, सक्षम प्राधिकारी के सदस्य-सचिव को प्राप्त हो जाये, तो वह तुरन्त खतरा/धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाने

७५

होगा: तथापि, पहचान के परिवर्तन या/ और स्थान परिवर्तन के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित साक्षी संरक्षण आदेश का क्रियान्वयन गृह विभाग की अनुज्ञा से राज्य साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा किया जायेगा;

(झ) साक्षी संरक्षण आदेश पारित कर दिये जाने पर, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ एक मासिक अनुवर्ती रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करेगा;

(ण) यदि सक्षम प्राधिकारी यह पाता है कि साक्षी संरक्षण आदेश में संशोधन करने की आवश्यकता है अथवा उस संबंध में और विचारण पूरा होने पर आवेदन दायर किया गया है तो संबंधित सहायक पुलिस आयुक्त, नगर पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक से नई खतरा/धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मांगी जायेगी;

7. "संरक्षण उपायों के प्रकार" आदिष्ट साक्षी संरक्षण उपाय खतरा/धमकी के अनुरूप और विनिर्दिष्ट अवधि के लिए होंगे अर्थात् एक बार में अधिकतम तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए नहीं होंगे। साक्षी संरक्षण उपाय में निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-

(क) यह सुनिश्चित करना कि साक्षी और अभियुक्त का अन्वेषण या विचारण के दौरान एक-दूसरे से सामना नहीं हो;

(ख) डाक, और टेलिफोन कॉल की मॉनीटरिंग;

(ग) साक्षी के टेलीफोन नंबर परिवर्तित करने के लिए या उसे असूचीबद्ध टेलीफोन नंबर देने के लिए संबंधित टेलीफोन कंपनी के साथ व्यवस्था करना;

(घ) साक्षी के घर में सुरक्षा उपकरण जैसे कि सिक््योरिटी डोर्स, सीसीटीवी, अलार्म, फेंसिंग आदि साक्षी संरक्षण निधि से लगाना लगाना;

(इ) साक्षी को उसके परिवर्तित नाम या वर्णाक्षरों से बुलाकर साक्षी की पहचान छिपाना;

(च) साक्षी के लिए आपात संपर्क व्यक्ति;

अ और
(छ) साक्षी के रिश्तेदार के घर या आसपास के नगर में साक्षी का अस्थायी तौर पर आवास परिवर्तन;

(ज) आवश्यकता अनुसार न्यायालय में आने-जाने के लिए स्क्वाड प्रदान करना और सुनवाई की तारीख के लिए सरकारी वाहन अथवा संरक्षण निधि से वाहन की व्यवस्था करना;

(झ) बंद कमरे में विचारण का संचालन;

(ण) बयान अथवा अभिसाक्ष्य दर्ज करने के दौरान मौजूद रहने के लिए एक सहायक व्यक्ति की अनुमति देना;

(ट) विशेष रूप से निर्मित संवेदनशील साक्षी न्यायालय कमरों का उपयोग करना जिनमें साक्षियों और अभियुक्तों के लिए अलग-अलग रास्तों के अलावा लाइव वीडियो संपर्क, ऐसी वनवे मिरर और स्क्रीन जैसी विशेष व्यवस्थाएं हों जिसमें साक्षी के चेहरे के प्रतिबिम्ब में बदलाव करने और साक्षी की आवाज के आडियोफीड में बदलाव करने का विकल्प हो ताकि उसकी पहचान न हो सके;

(ठ) बिना स्थगन, दिन-प्रतिदिन के आधार पर किए जाने वाले विचारण के दौरान अभिसाक्ष्य के त्वरित अभिलेखन को सुनिश्चित करना;

(ड) स्थान बदलने, भरण-पोषण अथवा नया व्यवसाय शुरू करने, जो भी आवश्यक हो, के प्रयोजन के लिए साक्षी संरक्षण निधि में से साक्षी को समय-समय पर आवधिक वित्तीय सहायता/अनुदान प्रदान करना;

(ढ) आवश्यक समझे जाने वाला संरक्षण का कोई अन्य प्रकार ।

8. मॉनीटरिंग और समीक्षा:

संरक्षण आदेश पारित हो जाने पर, सक्षम प्राधिकरण इसके कार्यान्वयन की मॉनीटरिंग करेगा और इस मामले में प्राप्त अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्टों के अनुसार उसकी समीक्षा करेगा तथापि, सक्षम प्राधिकरण साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ द्वारा प्रस्तुत मासिक अनुवर्ती कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार तिमाही आधार पर साक्षी संरक्षण आदेश की समीक्षा करेगा ।

भाग-III

9. पहचान का संरक्षण

- I. किसी अपराध की जांच अथवा विचारण के दौरान संरक्षण की मांग करते हुए आवेदन निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष उसके सदस्य सचिव के माध्यम से प्रस्तुत किया जा सकता है।
- II. आवेदन प्राप्त होने पर सक्षम प्राधिकारी का सदस्य सचिव खतरा/धमकी विश्लेषण रिपोर्ट मंगवाएगा। सक्षम प्राधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए साक्षी अथवा उसके परिवार के सदस्यों अथवा उचित समझे जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति से पूछताछ करेगा कि क्या पहचान संरक्षण आदेश पारित करने की आवश्यकता है?
- III. आवेदन की सुनवाई के दौरान, साक्षी की पहचान किसी व्यक्ति के समक्ष प्रकट नहीं की जाएगी, क्योंकि इससे साक्षी की पहचान होने की संभावना रहती है। तत्पश्चात सक्षम प्राधिकारी अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अनुसार आवेदन का निराकरण कर सकेगा।
- IV. सक्षम प्राधिकारी द्वारा एक बार साक्षी की पहचान का संरक्षण संबंधी आदेश जारी करने के बाद, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ का दायित्व यह सुनिश्चित करना होगा कि ऐसे साक्षी/उसके कुटुम्ब के सदस्यों के नाम/वंश/व्यवसाय/पता/ डिजिटल फुटप्रिंटों सहित उसकी पहचान की पूर्ण रूप से सुरक्षा हो सके।
- V. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के तहत जब तक किसी साक्षी की पहचान का संरक्षण किए जाने तक, साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ उन व्यक्तियों के ब्यौरे उपलब्ध करवाएगा जिनसे आपात स्थिति में साक्षी द्वारा संपर्क किया जा सके।

भाग-IV

10. पहचान में परिवर्तन

- I. उपर्युक्त मामलों में, जहां पर साक्षी द्वारा पहचान में परिवर्तन का अनुरोध किया जाता है तो खतरा/धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी को नई पहचान देने का निर्णय लिया जा सकता है।

- II. नई पहचान देने में, नया नाम/वंश/व्यवसाय/पता प्रदान करना और सरकारी एजेन्सियों द्वारा स्वीकार्य सहायक दस्तावेज उपलब्ध करवाना शामिल है। इन नई पहचानों के कारण साक्षी विद्यमान शैक्षिक/व्यावसायिक/संपत्ति अधिकारों से वंचित नहीं होगा।

भाग-V

11. साक्षी को दूसरी जगह बसाना

- I. उपर्युक्त मामलों में, जहां पर साक्षी द्वारा दूसरी जगह पर बसाने का अनुरोध किया जाता है तो खतरा/धमकी विश्लेषण रिपोर्ट के आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा साक्षी को दूसरी जगह पर बसाने का निर्णय लिया जा सकता है।
- II. सक्षम प्राधिकारी साक्षी की सुरक्षा, कल्याण और कुशलता को ध्यान में रखते हुए साक्षी को भारत संघ के किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सुरक्षित स्थान पर बसाने का आदेश दे सकता है। इसमें हुये खर्चों का वहन साक्षी संरक्षण निधि से किया जाएगा।

भाग-VI

12. साक्षियों को स्कीम से अवगत करवाना:

- I. गृह विभाग द्वारा इस स्कीम का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जायेगा। अनुसंधानकर्ता अधिकारी, अभियोजन अधिकारी एवं न्यायालय, साक्षियों को "साक्षी संरक्षण स्कीम" और इसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में जानकारी देंगे।

13. गोपनीयता और अभिलेखों का अनुरक्षण:

- I. पुलिस, अभियोजन, न्यायालय, दोनों पक्षों के वकीलों सहित सभी हितधारक पूर्ण गोपनीयता बनाए रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी स्थिति में इस स्कीम के अंतर्गत होने वाली कार्यवाहियों से संबंधित किसी भी अभिलेख, दस्तावेज या सूचना को, सिवाय

विचारण न्यायालय/अपीलीय न्यायालय के, किसी भी रूप में, किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं किया जाएगा।

- II. इस स्कीम के अंतर्गत कार्यवाहियों से संबंधित सभी अभिलेखों को उस समय तक अनुरक्षित किया जाएगा जब तक कि न्यायालय के समक्ष संबंधित विचारण या उससे संबंधित अपील का निराकरण न हो गया हो। न्यायालय की अंतिम कार्यवाहियों के निपटान के एक वर्ष के बाद, सक्षम प्राधिकारी अभिलेखों की स्कैन की हुई सॉफ्ट प्रतियों का अनुरक्षण करने के बाद इसकी हार्ड प्रतियों को हटा सकता है।

14. व्यय की वसूली:

साक्षी द्वारा झूठी शिकायत दर्ज कराए जाने के मामले में, गृह विभाग साक्षी संरक्षण निधि से हुए व्यय की वसूली के लिए कार्यवाही आरम्भ कर सकता है।

15. पुनर्विलोकन:

यदि साक्षी या पुलिस अधिकारी, सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिए गए निर्णय से असंतुष्ट हैं तो, सक्षम प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित किए जाने के 15 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी के समक्ष पुनर्विलोकन आवेदन किया जा सकता है।

साक्षी संरक्षण स्कीम, 2024 के अंतर्गत प्रस्तुत किये
जाने वाले साक्षी संरक्षण आवेदन का प्रारूप

(दो प्रतियों में भरा जाना है)

सक्षम प्राधिकारी,
जिला.....के समक्ष,

निम्न के लिए आवेदन :

1. साक्षी संरक्षण
2. साक्षी पहचान संरक्षण
3. नई पहचान
4. साक्षी को दूसरी जगह पर बसाना

1	साक्षी का विवरण (स्पष्ट अक्षरों में भरें):	_____
---	--	-------

1) नाम	
2) आयु	
3) लिंग (पुरुष/महिला/अन्य)	
4) पिता/माता का नाम	
5) आवास का पता	
6) साक्षी का नाम और परिवार के अन्य सदस्यों का ब्यौरा जिन्हें धमकी मिल रही है या उसका अंदेशा है	
7) संपर्क ब्यौरा (मोबाइल/ई-मेल)	
2 आपराधिक मामले का विवरण :	
1) एफआईआर नं.	
2) किस धारा के अधीन है	
3) थाना	
4) जिला	
5) रो.सा.सं. (यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई है)	
6) आपराधिक मामला सं. (निजी परिवार के मामले में)	
3 आरोपी का विवरण (यदि उपलब्ध/ज्ञात है)	
1) नाम	
2) पता	
4 धमकी देने वाले/जिस पर धमकी देने का संदेह है उस व्यक्ति का नाम और अन्य विवरण।	
5 धमकी की प्रकृति। तारीख, स्थान, तरीका और प्रयोग किए गए शब्दों के साथ मामले में प्राप्त धमकी का संक्षिप्त ब्यौरा विशिष्ट।	
6 साक्षी द्वारा/के लिए आवेदित साक्षी संरक्षण उपायों का प्रकार	
7 अंतरिम/तात्कालिक साक्षी संरक्षण आवश्यकता का ब्यौरा, यदि अपेक्षित है।	

- आवेदक/साक्षी द्वारा अधिक जानकारी देने के लिए अतिरिक्त शीट्स का प्रयोग किया जा सकता है।

हस्ताक्षर सहित पूरा
नाम

तारीख

स्थान

वचनबद्धता

1. मैं वचन देता/देती हूँ कि मैं सक्षम प्राधिकारी और राज्य के गृह विभाग तथा साक्षी संरक्षण प्रकोष्ठ के साथ पूरा सहयोग करूंगा/करूंगी।
2. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है।
3. मुझे ज्ञात है कि यदि इस आवेदन में मेरे द्वारा दी गई सूचना गलत पाई जाती है तो सक्षम प्राधिकारी को स्कीम के अंतर्गत साक्षी संरक्षण निधि से मेरे ऊपर किए गए खर्च की वसूली करने का अधिकार होगा।

हस्ताक्षर सहित पूरा नाम